Lecture-107.

आतंकवाद एवं की परिभाषा एवं सरकार द्वारा उठाए गए कदम

— ममता रानी
अतिथि सहायक प्राध्यापक
इतिहास विभाग
एस० एन० एस० आर० के० एस० कॉलेज, सहरसा

प्र. आतंकवाद से आप क्या समझते है? सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर :- अंग उपाय

(i) बाह्य आतंकवाद
जैसे- लश्कर-ए-तैयबा
ISIS
(ii) आंतरिक आतंकवाद
जैसे- सीमी, हिजबुल-ए-मुजाहिदीन, माओवादी, उल्फा

धार्मिक एवं राजनीतिक रूप

* हिरासत की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन
* कैद से मुक्ति नहीं (विदेशियों के)
* पोटा के तहत दण्ड का प्रावधान
* आतंकी को संरक्षण देने वाले संगठन, व्यक्ति पर प्रतिबंध, 5 वर्ष की सजा
* रासायनिक हथियार, विस्फोट के जुर्म में 10 साल की सजा।

आतंकवाद वर्तमान मे विश्व का सबसे प्रमुख समस्या बन गया है। आरंभ मे यह अधिकांशत: विकासशील देशों मे संचालित किया जाता था लेकिन अब इसका क्षेत्र पहुँचकर विकसित देशों मे भी पहुँच गया है। जैसे- अमेरिका पर किया गया अटैक, Nov 2015 मे पेरिस पर किया गया आतंकी हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है। 12 जून 2016 को आईएस ने अमेरिका के ओरलैंडो के 50 लोगों को मार दिया। किसी भी देश या क्षेत्र विशेष मे किसी संगठन द्वारा बमविस्फोट, अपहरण करके, डरा धमकाकर या निर्दोष लोगों की हत्या कर भय का माहौल उत्पन्न करना आतंकवाद कहलाता है। जो दो रूपों मे स्थापित है।

बाह्य आतंकवाद स्तर के संगठन विश्व मे सबसे खतरनाक माने गए है इसके अनुसार एक देश दूसरे देशों पर आतंकी हमला कराकर वहाँ की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है। जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत पर किया गया आतंकवादी हमला। इस प्रकार के कार्यवाई करने वाले संगठनों मे लश्कर-ए-तोयबा एवं वर्तमान के सबसे खतरनाक के रूप मे ISIS को शामिल किया जा सकता है।

आंतरिक आतंकवाद के अन्तर्गत किसी भी देश के अंदर के संगठन के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर भय का माहौल उत्पन्न करना होता है। जैसे- सीमी एवं हिजबुल-ए-मुजाहिदीन, माओवादी एवं उल्फा

ऐसे संगठन भी इस प्रकार के कार्यवाई को अंजाम देता है।
आतंकवादी कार्यवाई के कारण के रूप मे धार्मिक और राजनीतिक कारण सबसे प्रमुख माना गया है क्योंकि जिहाद के नाम पर इस प्रकार के कार्य को सम्पन्न किया जाता है जो विकृत मानसिकता का परिचायक है। इसके साथ ही अपनी राजनीतिक जीवन को सुरक्षित करने के लिए दूसरे देशो पर आंतरी हमला करने की कोशिश किया करते है।

आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए है उसे यहाँ देखा जा सकता है-

(i) हिरासत की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन।
(ii) विदेशी आतंकवादी को कैद से मुक्ति नही।
(iii) पोटा के तहत दण्ड का प्रावधान।
(iv) आतंकी को संरक्षण देने वाले संगठन, व्यक्ति, स्थान पर प्रतिबंध एवं उम्र कैद की सजा।
(v) रसायनिक, हथियार, विस्फोटक आदि के जुर्म में 10 साल की सजा का प्रावधान।

उपाय के लिए जो सरकार कदम उठाए है उसके अतिरिक्त अतिशिघ्र कार्यवाई करते हुए दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर भी आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजूट होने की जरुरत भी है जिसमे भारत अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

*** *** ***